विषय सूची

खंड I

बाह्य वाणिज्यिक उधार

I.(अ) स्वतः अनुमोदित मार्ग

पात्र उधारकर्ता

मान्यताप्राप्त उधारदाता

राशि और परिपक्वता

समग्र लागत सीमा

अंतिम उपयोग

अंतिम उपयोग अनुमत नहीं

गारंटी

जमानत

बाह्य वाणिज्यिक उधार को विदेशों में रखना

समयपूर्व भुगतान

वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण

ऋण चुकौती

प्रक्रिया

I (आ) अनुमोदन मार्ग

पात्र उधारकर्ता

मान्यताप्राप्त उधारदाता

समग्र लागत सीमा

अंतिम उपयोग

अंतिम उपयोग अनुमत नहीं

गारंटी

ज़मानत

समयपूर्व भुगतान

ऋण चुकौती

अधिकार प्रदत्त समिति

II रिपोर्ट करने की व्यवस्था और जानकारी का प्रसार

रिपोर्ट करने की व्यवस्था

जानकारी का प्रसार

III. संरचनात्मक दायित्व

IV. बाह्य वाणिज्यिक उधार के मार्गदर्शी सिद्धांत

V. बाह्य वाणिज्यिक उधार का ईक्विटी में परिवर्तन

VI. बाह्य वाणिज्यिक उधार को निश्चित रूप देना

VII. पूर्ववर्ती 5 मिलियन अमरीकी डॉलर योजना के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार

भाग-II

भारत में आयात के लिए व्यापारिक उधार

(क) राशि और परिपक्वता अवधि

(ख) समग्र लागत सीमा

(ग) गारंटी

(घ) रिपोर्टिंग व्यवस्था

फार्म ईसीबी

संलग्नक II

फार्म 83

संलग्नक III

ईसीबी-2

संलग्नक IV

फार्म - टीसी

संलग्नक V

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा जारी गारंटी/ वचनपत्र/ लेटर ऑफ कंफर्ट के ब्योरे

परिशिष्ट

भाग-I

बाह्य वाणिज्यिक उधार

बाह्य वाणिज्यिक उधार का संबंध अनिवासी उधारकर्ताओं से तीन वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधिवाले वाणिज्यिक ऋणों [बैंक ऋण, क्रेता ऋण, आपूर्तिकर्ता ऋण, जांची गई लिखतों के रूप में(अर्थात् अस्थिर दरवाले नोटों और निर्धारित दरवाले बांड्स)] से है।

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड का तात्पर्य वह बांड है जो किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है और जिसका मूल और ब्याज विदेशी मुद्रा में देय है। इसके अलावा बांड को योजना अर्थात "विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयरों की निर्गम (जमा रसीद व्यवस्था के माध्यम से) योजना , 1993" के अनुसार जारी किया जाना चाहिए और विदेशी मुद्रा में अनिवासी द्वारा अभिदत्त तथा ऋण लिखतों से संबद्ध इक्विटी संबंधित वारंट के आधार पर पूर्णत: अथवा अंशत: किसी भी प्रकार से, जारीकर्ता कंपनी के सामान्य शेयरों में परिवर्तनीय होने चाहिए।विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड के निर्गम को समय-समय पर संशोधित जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना फेमा सं. 120/आर बी-2004 के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार को दो मार्गों, नामतः (i) पैरा I(अ) में दिया गया स्वतः अनुमोदित मार्ग और (ii) पैरा I (आ) में दिया गया अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है।

संपदा क्षेत्र-औद्योगिक क्षेत्र विशेषकर भारत में संरचनात्मक क्षेत्र मेंनिवेश हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत आते हैं अथार्त् भारतीय रिजर्व बैंक /सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है ।स्वतः अनुमोदित मार्ग के तक पहुंच की पात्रता के संबंध में संदेह के मामले में आवेदक अनुमोदन मार्ग का सहारा ले सकते हैं ।

I (अ) - स्वत: अनुमोदित मार्ग

पात्र उधारकर्ता

(क) कंपनियां (वित्तीय मध्यस्थों के सिवाय, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां (जैसे बैंक ,वित्तीय संस्थाएं (एफआइ), आवास वित्त कंपनियां और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने के लिए पात्र हैं । व्यक्ति, ट्रस्ट और लाभ न कमानेवाले संगठन बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने के पात्र नहीं हैं।

(ख) व्यष्टि वित्तपोषण क्रियाकलापों में लगे गैर सरकारी संगठन बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए पात्र हैं। ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का (i) विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेने का कम से कम 3 वर्षों का संतोषजनक संबंध हो, (ii) उन्हें नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक से उधारकर्ता कंपनी के प्रबंधन बोर्ड/ समिति के "योग्य और उपयुक्त" हैसियत के संबंध में यथोचित कर्मिष्ठता प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी।

(ग) विशेष आर्थिक अंचल की इकाइयों को अपनी आवश्यकता के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने की अनुमति है। फिर भी, सहयोगी संस्थाओं को अथवा घरेलू टैरिफ एरिया में किसी इकाई को बाह्य वाणिज्यिक उधार निधियों के अंतरण की अनुमति नहीं है।

मान्यता पात्र उधारदाता

(क) उधारकर्ता अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त स्रोतों, जैसे (i) अंतरराष्ट्रीय बैंक, (ii) अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाज़ार, (iii) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं (जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्त कंपनी, एशियाई विकास बैंक, सीडीसी, आदि), (iv) निर्यात ऋण एजेंसियों और (v) उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं, (vi) विदेशी सहयोगियों और (vii) विदेशी ईक्विटी धारकों से बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही कर सकते हैं। स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत "मान्यता प्राप्त उधारदाता" के रूप में पात्र होने के लिए एक "विदेशी ईक्विटी धारक" को नीचे निर्धारित किए गए अनुसार उधारकर्ता कंपनी में ईक्विटी की न्यूनतम धारिता की जरूरत होगी :

(i) 5 मिलियन अमरीकी डालर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए - उधारदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित 25 प्रतिशत की न्यूनतम ईक्विटी,

(ii) 5 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के लिए -

उधारदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित 25 प्रतिशत की न्यूनतम ईक्विटी और ऋण ईक्विटी अनुपात 4:1 से अधिक न हो (अर्थात् प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रत्यक्ष विदेशी ईक्विटी धारिता के चार गुना से अधिक न हो)।

(ख) निम्नलिखित पूर्वोपायों का अनुपालन करनेवाले समुद्रपारीय संगठन और व्यक्ति, व्यष्टि वित्तपोषण करनेवाली गैर सरकारी संगठनों को बाह्य वाणिज्यिक उधार दे सकते हैं।

(i) बाह्य वाणिज्यिक उधार देने का प्रस्ताव रखनेवाले समुद्रपारीय संगठनों को किसी समुद्रपारीय बैंक से प्राप्त यथोचित कर्मिष्ठता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो मेजबान देश विनियामक के विनियमों के अधीन है तथा प्राधिकृत व्यापारी के वित्तीय कार्रवाई कार्यदल के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करता है। यथोचित कर्मिष्ठता प्रमाणपत्र में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए (i) कि उधारदाता का बैंक में कम से कम दो वर्ष से खाता है (ii) कि उधार देनेवाली कंपनी स्थानीय कानून के अनुसार गठित की जाती है तथा व्यापारी/ स्थानीय समुदाय में इनका अच्छा सम्मान है और (iii) कि उन पर कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है।

(ii) एकल उधारदाता को समुद्रपारीय बैंक से एक यथोचित कर्मिष्ठता प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा जिसमें यह दर्शाया जाए कि बैंक में उधारदाता का कम से कम दो वर्षों से खाता है। लेखा का लेखापरीक्षित विवरण और आयकर विवरणी जैसे अन्य साक्ष्यों/ दस्तावेजों को समुद्रपारीय बैंक द्वारा अभिप्रमाणित और अग्रेषित किया जाना जरूरी है। ऐसे देशों के एकल उधारदाताओं को, जहां बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को जानिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन जरूरी नहीं है, बाह्य वाणिज्यिक उधार देने की अनुमति नहीं है।

राशि और परिपक्वता

(क) एक वित्तीय वर्ष में बाह्य वाणिज्यिक उधार की अधिकतम राशि, जो एक कंपनी उगाह सकती है, वह 500 मिलियन अमरीकी डालर है अथवा उसके समतुल्य राशि है।

(ख) एक वित्तीय वर्ष में, 3 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले 20 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि के बाह्य वाणिज्यिक उधार

(ग) 5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले 20 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक और 500 मिलियन अमरीकी डॉलर तक अथवा उसके समतुल्य राशि के बाह्य वाणिज्यिक उधार।

(घ) व्यष्टि वित्तपोषण कार्यकलाप करनेवाली गैर सरकारी संगठन एक वित्तीय वर्ष के दौरान 5 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही कर सकती है। प्राधिकृत व्यापारी बैंक को यह सुनिश्चित करना है कि आहरण द्वारा कमी करने के समय उधारकर्ता का विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव किया जाता है ।

(ड.) 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार में क्रय/ विक्रय विकल्प सकते हैं बशर्ते क्रय/विक्रय विकल्प का उपयोग करने से पहले औसत 3 वर्ष की औसत न्यूनतम परिपक्वता अवधि का पालन किया जाता है।

समग्र लागत सीमा

इसमें वायदा फीस, समयपूर्व चुकौती फीस और भारतीय रुपये में देय फीस के सिवाय ब्याज दर,विदेशी मुद्रा में अन्य फीस और खर्चे शामिल हैं। इसके अलावा कर का भुगतान के लिए भारतीय रुपये में राशि रोक रखने को समग्र लागत की गणना में शामिल नहीं किया जाता है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार की समग्र लागत सीमा को समय-समय पर समीक्षा की जाती है।
समीक्षा होने तक निम्नलिखित सीमाएं वैध हैं।

औसत परिपक्वता अवधि

छ मा तक के लाइबोर* से ऊपर समग्र लागत सीमा

तीन वर्ष और पांच वर्ष तक

150 आधार बिंदु

पांच वर्ष से अधिक

250 आधार बिंदु

*उधार की अपनी-अपनी मुद्रा अथवा लागू बेंचमार्क के लिए

अंतिम उपयोग

(क) बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही भारत में केवल स्थावर संपत्ति क्षेत्र - औद्योगिक क्षेत्र जिसमें लघु और मध्यम दर्जे के उपक्रम शामिल हैं और संरचनात्मक क्षेत्र में निवेश के लिए [पूंजी माल का आयात (विदेशी व्यापार नीति में डीजीएफटी द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार) नयी परियोजनाओं का क्रियान्वयन, मौजूदा उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण/ विस्तार के लिए] की जा सकती है। संरचनात्मक क्षेत्र की परिभाषा इस प्रकार की गई है - (i) ऊर्जा, (ii) दूरसंचार, (iii) रेलवे, (iv) पुल समेत सड़क, (v) बंदरगाह और हवाई अड्डा, (vi) औद्योगिक पार्क और (vii) शहरी संरचना (जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं जलमल परियोजना);

(ख) विदेश में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधारों का उपयोग संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए किया जा सकता है।

(ग) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय का उपयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत विनिवेश प्रक्रिया में शेयरों के प्रथम चरण में अधिग्रण और जनता को अनिवार्य दूसरे चरण के प्रस्ताव में किय जा सकता है।

(घ) व्यष्टि वित्तपोषण करनेवाले गैर-सरकारी संगठन बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों का उपयोग स्वयं सहायता समूहों को उधार देने अथवा व्यष्टि ऋण अथवा वास्तविक व्यष्टि वित्तपोषण गतिविधियों, जिसमे क्षमता निर्माण शामिल है, के लिए कर सकते हैं।

अंतिम उपयोग की अनुमति नहीं

कंपनी द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों का उपयोग आगे उधार देने अथवा पूंजी बाज़ार में निवेश अथवा किसी कंपनी (उसके किसी हिस्से का) के अधिग्रहण ,जमीन-जायदाद ,कार्यशील पूंजी, सामान्य

कारपोरेट उद्देश्यों और वर्तमान रुपया ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है।

गारंटी	बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में बैंक, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा गारंटी/ तत्काल साखपत्र,वचन पत्र अथवा लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने की अनुमति नहीं है।
ज़मानत	उधारदाता / आपूर्तिकर्ता को दी जाने वाली ज़मानत का विकल्प उधारकर्ता को ही चुनना है। परंतु समुद्रपारीय उधारदाता के पक्ष में अचल परिसंपत्तियों और शेयर जैसे वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार का सृजन, समय-समय पर यथासंशोधित क्रमशः मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.21/ आरबी-2000 के विनियम 8 और मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/आरबी-2000 के विनियम 3 के अधीन है।
बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को विदेशों में रखना	बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को भारत में वास्तविक आवश्यकता न होने तक विदेश में रखा जाएगा। विदेश में रखे गए बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों का निम्नलिखित चल परिसंपत्तियों में निवेश किया जा सकता है। (क) स्टैंडर्ड एण्ड पुअर/ फिट्स आइबीसीए द्वारा AA(-) अथवा मूडीज़ द्वारा Aa3 से अनधिक रेटेड, बैंक द्वारा प्रस्तावित जमाओं अथवा जमा प्रमाणपत्रों अथवा अन्य लिखत; (ख) भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी की समुद्रपारीय शाखा के पास जमा; और (ग) उपर्युक्त के अनुसार न्यूनतम रेटिंगवाले एक वर्ष की परिपक्वता अवधिवाले खज़ाना बिल और मौद्रिक लिखत।
समयपूर्व भुगतान	प्राधिकृत व्यापारी बैंक 400 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक के बगैर पूर्वानुमोदन के दे सकते हैं बशर्ते ऋण पर यथालागू न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि का अनुपालन किया जाता है।
मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण	कम लागत पर नया ऋण उगाह कर मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार के पुनर्वित्त पोषण की अनुमति है बशर्ते नया बाह्य वाणिज्यिक उधार निम्न समग्र लागत पर उगाहा जाता है और मूल बाह्य वाणिज्यिक उधार की शेष परिपक्वता अवधि को बनाए रखा जाता है।

ऋण का भुगतान

सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देशों के अनुसार नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को मूल धन, ब्याज तथा अन्य प्रभारों की किस्त भेजने की सामान्य अनुमति है।

प्रक्रिया

स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने के लिए उधारकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना ही, मान्यता प्राप्त उधारकर्ता के साथ करार कर सकता है। बाह्य वाणिज्यिक उधार drawing down करने से पहले उधारकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त करे। ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया पैरा II (i)(ख) में विस्तृत रूप से दी गई है।

I. (आ) अनुमोदन मार्ग

अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार के निम्नलिखित किस्म के प्रस्ताव शामिल होंगे।

पात्र उधारकर्ता

क) केवल संरचनात्मक अथवा निर्यात वित्त में कार्यरत वित्तीय संस्थाएं जैसे, आइडीएफसी, आइएल एण्ड एफएस, ऊर्जा वित्त निगम, पॉवर ट्रेडिंग कारपोरेशन, आइइरसीओएन, और एक्ज़िम बैंक पर मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा।

ख) सरकार के अनुमोदन के अनुसार टेक्स्टाइल अथवा स्टील क्षेत्र की पुनर्रचना पैकेज में सहभागी बैंक और वित्तीय संस्थाओं को भी पैकेज में उनके निवेश की सीमा तक और विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारण के अनुसार अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजन के लिए अब तक लिया गया कोई भी बाह्य वाणिज्यिक उधार उनके हकदारी में से घटा दिया जाता है।

ग) संरचनात्मक परियोजनाओं को पट्टे पर देने के लिए संरचनात्मक उपकरणों के आयात के वित्तपोषण हेतु बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं, ख्याति प्राप्त क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं, आधिकारिक निर्यात ऋण एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय बैंकों से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा 5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वतावाले बाह्य वाणिज्यिक उधार।

घ) निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों को पूरा करनेवाली आवास वित्त कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड : (i) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय बिचौलिए का न्यूनतम निवल मालियत 500 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए, (ii) मुंबई शेयर बाज़ार अथवा राष्ट्रीय शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हो, (iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड का न्यूनतम आकार 100 मिलियन अमरीकी डॉलर हो, (iv) आवेदक निधियों के उपयोग का प्रयोजन/ योजना प्रस्तुत करे।

ङ) निर्मित दायित्व - अंतरराष्ट्रीय बैंकों/ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं/ संयुक्त उद्यम साझेदारों द्वारा ऋण वर्धित किए जानेवाले घरेलू रुपया मूल्यवर्ग निर्मित दायित्व।

च) निम्नलिखित मानदंडों i) सहकारी समिति वित्तीय रूप से शोधक्षम हैं और ii) सहकारी समिति अपना अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र प्रस्तुत करती है- को पूरा करनेवाले विनिर्माण कार्य में लगी बहुराज्य सहकारी समितियां।

छ) पैराग्राफ I (अ)(iii) में उल्लिखित स्वतः अनुमोदित मार्ग सीमाओं और परिपक्वता अवधि के दायरे में न आने वाले मामले।

मान्यता प्राप्त उधारदाता

(क) उधारकर्ता अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त स्रोतों जैसे (i) अंतरराष्ट्रीय बैंक, (ii) अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाज़ार, (iii) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाएं (जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्त कंपनी, एशियाई विकास बैंक, सीडीसी, आदि), (iv) निर्यात ऋण एजेंसियां और (v) उपकरणों के आपूर्तिकर्ता, (vi) विदेशी सहयोगी और (vii)विदेशी ईक्विटी धारकों(पूर्ववर्ती विदेशी कंपनी निकायों से इतर) से बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं।

(ख) "विदेशी इक्विटी धारक " से जहां विदेशी इक्विटी उधारदाता की प्रत्यक्ष रूप से न्यूनतम इक्विटी धारिता 25 प्रतिशत है किंतु ऋण इक्विटी अनुपात 4:1 है (अर्थात् प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार , प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी धारिता से चार गुना अधिक है)।

राशि और परिपक्वता अवधि

कंपनी एक वित्तीय वर्ष के दौरान स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत 500 मिलियन अमरीकी डालर की वर्तमान सीमा के अलावा अनुमोदन मार्ग के तहत 10 वर्ष से अधिक की औसत परिपक्वतावाली 250 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त राशि का बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकती है। अंतिम उपयोग , समग्र लागत सीमा,मान्यताप्रप्त उधारदाता जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधार के अन्य मानदंडों का अनुपालन करना आवश्यक है। फिर भी, ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए पूर्व भुगतान क्रय/ विक्रय विकल्प हेतु 10 वर्ष तक अनुमति नहीं होगी ।

समग्र लागत सीमाएं

समग्र लागत सीमा में वायदा फीस, समयपूर्व चुकौती फीस और भारतीय रुपए में देय फीस के सिवाय ब्याज दर , विदेशी मुद्रा में अन्य फीस और खर्चे शामिल हैं। परंतु कर भुगतान के लिए भारतीय रुपये में राशि रोक रखने को समग्र लागत की गणना में शामिल नहीं किया जाता है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए समग्र लागत सीमा समय-समय पर सूचित की जाएगी।
निम्नलिखित सीमाएं समीक्षा तक वैध रहेंगीः

न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि	**छ मा तक के लाइबोर* से ऊपर समग्र लागू सीमा**
तीन वर्ष और पांच वर्ष तक	200 आधार बिंदु
पांच वर्ष से अधिक	350 आधार बिंदु

- उधार की अपनी- अपनी मुद्रा अथवा लागू बेंचमार्क के लिए
-

अंतिम उपयोग

(क) बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही भारत में केवल स्थावर संपत्ति क्षेत्र-औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें लघु और मध्यम दर्जे के उपक्रम शामिल हैं और संरचनात्मक क्षेत्र में निवेश के

लिए [जैसे, पूंजी माल का आयात, (विदेश व्यापार नीति में डीजीएफटी द्वारा यथावर्गीकृत) नयी परियोजनाएं, मौजूदा उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण/ विस्तार] की जा सकती है। संरचनात्मक क्षेत्र की परिभाषा इस प्रकार की गई है - (i) ऊर्जा, (ii) दूरसंचार, (iii) रेलवे, (iv) पुल समेत सड़क, (v) पोर्ट, (vi) औद्योगिक पार्क और (vii) श्हरी ढांचे (जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं जलमल परियोजना);

(ख) विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में वर्तमान दिशानिर्देशों के अधीन संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारों का उपयोग किया जा सकता है।

(ग) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय का उपयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत विनिवेश प्रक्रिया में शेयरों के प्रथम चरण में अधिग्रहण और जनता को अनिवार्य दूसरे चरण प्रस्ताव में किया जा सकता है।

अंतिम उपयोग अनुमत नहीं

पैरा II(आ)(ii)(क) और II(आ)(ii) (ख) के अंतर्गत पात्र बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के सिवाय किसी कंपनी को आगे उधार देने अथवा पूंजी बाजार में निवेश अथवा भारत के किसी कंपनी (उसके किसी हिस्से)के अधिग्रहण , जमीन-जायदाद , कार्यशील पूंजी, सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों और वर्तमान रुपया ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार के प्राप्यों के उपयोग की अनुमति नहीं है।

गारंटी

बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सामान्यता बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित गारंटी , आपात साखपत्र , वचन पत्र अथवा चुकौती आश्वासन पत्र जारी करने की अनुमति नहीं है । लघु और मध्यम दर्जे के उपक्रमों के मामले में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा

उधार से संबंधित गारंटी, आपात साखपत्र , वचन पत्र अथवा चुकौती आश्वासन पत्र प्रदान करने के आवेदन पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा।

भारतीय वस्त्रोद्योग में क्षमता विस्तार और तकनीक उन्नयन को सहज बनाने की दृष्टि से वस्त्रोद्योग इकाई के आधुनिकीकरण अथवा विस्तार हेतु वस्त्र कंपनियों द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में गारंटी , आपात साखपत्र , वचन पत्र अथवा चुकौती आश्वासन पत्र के निर्गम पर विवेकपूर्ण मानदडों के अधीन विचार किया जाएगा।

ज़मानत

उधारदाता/ आपूर्तिकर्ता को दी जाने वाली ज़मानत का विकल्प उधारकर्ता को ही चुनना है। फिर भी, समुद्रपारीय उधारदाता के पक्ष में अचल परिसंपत्तियों और वित्तीय प्रतिभूतियों, जैसे शेयर पर प्रभार का सृजन समय-समय पर यथासंशोधित क्रमशः मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.21/आरबी-2000 के विनियम 8 और मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/आरबी-2000 के विनियम 3 के अधीन है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को विदेशों में रखना

बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को भारत में वास्तविक आवश्यकता न होने तक विदेश में रखा जाएगा। विदेश में रखे गए बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों का निम्नलिखित चल परिसंपत्तियों में निवेश किया जा सकता है (क) स्टैंडर्ड एण्ड पुअर/ फिट्स आइबीसीए द्वारा AA(-) अथवा मूडीज़ द्वारा Aa3 न्यूनतम रेटेड, बैंक द्वारा प्रस्तावित जमाओं अथवा जमा प्रमाणपत्रों अथवा अन्य लिखत; (ख) भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी की समुद्रपारीय शाखा के पास जमा; और (ग) उपर्युक्त के अनुसार न्यूनतम रेटिंगवाले एक वर्ष की परिपक्वता अवधिवाले खज़ाना बिल और मौद्रिक लिखत। निधियों का इस तरह निवेश किया जाए कि आवश्यकता पड़ने पर भारत में उधारकर्ता की आवश्यकता पर उसका परिनिर्धारण किया जा सके।

समयपूर्व भुगतान

(क) प्राधिकृत व्यापारी 400 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक के बगैर पूर्वानुमोदन के दे सकते हैं बशर्ते ऋण पर लागू

न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि का अनुपालन किया जाता है।
(ख) रिजर्व बैंक अनुमोदन मार्ग के तहत 400 मिलियन अमरीकी डालर के बाह्य वाणिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान पर विचार करेगा।

मौज़ूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण	कम लागत पर नया ऋण उगाह कर मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार के पुनर्वित्त पोषण की अनुमति है बशर्ते नया बाह्य वाणिज्यिक उधार निम्न समग्र लागत पर उगाहा जाता है और मूल बाह्य वाणिज्यिक उधार की शेष परिपक्वता अवधि को बनाए रखा जाता है।
ऋण चुकौती	सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशानिदेशों के अनुसार नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को मूल धन / ब्याज तथा अन्य प्रभारों की किस्तें भेजने की सामान्य अनुमति है।
प्रक्रिया	आवदेक आवश्यक दस्तावेज़ के साथ फार्म ईसीबी में नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, मुंबई 400 001 को प्रस्तुत करें।
अधिकार प्रदत्त समिति	अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत आनेवाले प्रस्तावों पर विचार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक अधिकार प्रदत्त समिति गठित की है।

खंड II : रिपोर्ट करने की व्यवस्था और जानकारी का प्रसार

रिपोर्ट करने की व्यवस्था

(क) प्रकिया को सरल बनाने के विचार से ऋण करार की प्रतिलिपि की प्रस्तुति को बंद कर दिया गया है।

(ख) ऋण पंजीयन संख्या के आबंटन के लिए उधारकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे दो प्रतियों में फार्म 83 कंपनी सचिव अथवा सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित कराके नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास प्रस्तुत करें। एक प्रति नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा निदेशक, भुगतान संतुलन सांख्यकीय प्रभाग, सांख्यकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई 400 051 को भेजी जाए। [नोट:ऋण करार, एफसीसीबी के लिए प्रस्ताव दस्तावेज को फार्म 83 के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।]

(ग) उधारकर्ता सांख्यकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण क्रमांक प्राप्त करने के बादी ऋण में आहरण द्वारा कमी कर सकते हैं।

(घ) उधारकर्ता ईसीबी-2 विवरणी नामित प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणित कराकें मासिक आधार पर इस प्रकार भेजें कि वह सांख्यकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को संबंधित माह की समाप्ति से सात कार्यदिवस के भीतर मिल जाए।

[नोट : बाह्य वाणिज्यिक उधार अर्थात् ईसीबी 3-ईसीबी 6 से संबंधित सभी अन्य विवरणियां जनवरी 31, 2004 से बंद कर दी गई हैं।]

जानकारी का प्रसार

अधिक पारदर्शिता के लिए स्वत: अनुमोदित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार उधारकर्ता का नाम, राशि, का प्रयोजन और उसकी परिपक्वता अवधि के संबंध में जानकारी एक माह, जिससे यह संबंधित है , के अंतराल मासिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब-साइट पर डाली जाती है।

III. संरचनात्मक दायित्व

घरेलू रूप से संसाधन उगाहने और विनिमय दर जोखिम की रक्षा के लिए कंपनियों को समर्थ बनाने हेतु घरेलू रुपया मूल्यवर्गित संरचनात्मक दायित्वों को अंतरराष्ट्रीय बैंकों/ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं/ संयुक्त उद्यम साझीदारों द्वारा ऋण में बढ़ोत्तरी किए जाने की अनुमति है। ऐसे आवेदनों पर अनुमोदन मार्ग के तहत विचार किया जाएगा।

IV. बाह्य वाणिज्यिक उधार के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन

बाह्यय वाणिज्यिक उधार मार्गदर्शी सिद्धांतों और रिज़र्व बैंक के विनियमों/ निदेशों के अनुरूप उधार उगाहे/ उपयोग किए गए, यह सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित उधारकर्ता की है तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के संबंधित किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा तथा फेमा, 1999 (फरवरी 1, 2005 के (ए.पी.डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.31) के तहत आर्थिक दण्ड दिया जाएगा। नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक से भी यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि प्रमाणीकरण के समय बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही/ उपयोग के बाह्य वाणिज्यिक उधार मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में है।

V. बाह्य वाणिज्यिक उधार का ईक्विटी में परिवर्तन

(i) निम्नलिखित शर्तों के अधीन बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में परिवर्तन की अनुमति दी जाती है -

(क) कंपनी के कार्यकलापों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमोदन मार्ग के तहत कवर किया जाता है अथवा विदेशी ईक्विटी सहभागिता के लिए कंपनी ने सरकारी अनुमोदन के लिए अनुमति ली है।

(ख) ऋण के ईक्विटी में ऐसे परिवर्तन के बाद विदेशी ईक्विटी धारिता यदि कोई हो, के क्षेत्रीय सीमा के अंदर है।

(ग) सूचीबद्ध/ असूचीबद्ध कंपनियों, जैसा मामला हो, के संबंध में शेयरों का मूल्यांकन सेबी और पूर्ववर्ती सीसीआइ के मार्गदर्शी सिद्धांतों/ विनियमों के अनुसार है।

(ii) बाह्य वाणिज्यिक उधार के परिवर्तन की सूचना निम्नानुसार रिज़र्व बैंक को दी जाएगी :

(क) उधारकर्ताओं से यह अपेक्षा है कि वे **शेष बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में पूर्णतः परिवर्तन** की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को फार्म एफसी-जीपीआर में साथ ही फार्म ईसीबी-2 में सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को संबंधित माह की समाप्ति से 7 दिनों के अंदर दें। शब्द " ईक्विटी में पूर्णतः परिवर्तित बाह्य वाणिज्यिक उधार" फार्म ईसीबी-2 के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा जाए। एक बार रिपोर्ट किए जाने के बाद, बाद के महीने में ईसीबी-2 दाखिल करने की जरूरत नहीं है।

(ख) शेष बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में आंशिक परिवर्तन के मामले में उधारकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे फार्म एफसी-जीपीआर में परिवर्तित भाग की सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें साथ ही अपरिवर्तित हिस्से से परिवर्तित हिस्से को अलग करते हुए स्पष्ट रूप से फार्म ईसीबी-2 में दें। शब्द "ईक्विटी में आंशिक परिवर्तित बाह्य वाणिज्यिक उधार" ईसीबी-2 फार्म के ऊपर लिखा जाए। बाद के महीनों में बाह्य वाणिज्यिक उधार के बकाया भाग की रिपोर्ट सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को ईसीबी-2 फार्म में दी जाए।

VI. बाह्य वाणिज्यिक उधार को निश्चित रूप देना

रुपये में भारत में कंपनियों द्वारा उगाही गई बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए दी गई गारंटियों में से उत्पन्न अपनी विदेशी मुद्रा देयता को निश्चित रूप देने की इच्छा रखनेवाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को पूर्ण ब्योरे अर्थात् उधारकर्ता का नाम, उगाही गई राशि, परिपक्वता अवधि, गारंटी/ चुकौती का आश्वासन देनेवाले पत्र की परिस्थितियां, छूट कीतारीख, संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक की समुद्रपारीय शाखा की देयताओं पर उसका प्रभाव और अन्य संबंधित तथ्य देते हुए प्रस्तुत करें।

VII. पूर्ववर्ती 5 मिलियन अमरीकी डॉलर योजना के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार

नामित प्राधिकृत व्यापारी को पूर्ववर्ती 5 मिलियन अमरीकी डॉलर के तहत उगाहे गए ऋणों के लिए चुकौती अवधि के विस्तार को अनुमोदित करने की अनुमति है बशर्ते बगैर किसी अतिरिक्त लागत के ऐसे पुनः निर्धारण के लिए समुद्रपारीय उधारदाताओं से सहमति पत्र प्राप्त किया जाता है। मूल/ ऋण पंजीकरण संख्या के साथ वर्तमान और संशोधित

चुकौती सूची के साथ ऐसे अनुमोदन की सूचना मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, मुंबई को अनुमोदन के 7 दिनों के अंदर और बाद में ईसीबी-2 में दी जाए।

भाग - II

भारत में आयात के लिए व्यापारिक ऋण

"व्यापार ऋण" का आशय तीन वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा आयात के लिए सीधे ही दिए गए ऋण से है। वित्त के स्रोत के आधार पर, ऐसे व्यापारिक ऋण में आपूर्तिकर्ता का ऋण अथवा क्रेता का ऋण शामिल है। आपूर्तिकर्ता ऋण का संबंध समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता द्वारा भारत में आयात किए जाने के लिए दिया जाने वाला ऋण है,जबकि क्रेता ऋण भारत में आयात के लिए किए जाने वाले भुगतान हेतु आयातक द्वारा भारत से बार किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से तीन वर्ष से कम की परिपक्वता वाले ऋण की व्यवस्था करना है। यह नोट किया जाए कि तीन वर्ष और उससे अधिक अवधि के क्रेता ऋण और आपूर्तिकर्ता ऋण, बाह्य वाणिज्यिक उधार श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जो बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देश द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

(क) राशि और परिपक्वता अवधि

प्राधिकृत व्यापारी बैंक डीजीएफटी की विदेश व्यापार नीति के अधीन अनुमत आयात के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रति आयात लेनदेन के भारत में आयात के लिए एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधिवाले (पोतलदान की तारीख से)व्यापारिक उधार को अनुमोदित कर सकते हैं। डीजीएफटी द्वारा यथावर्गीकृत पूंजी माल आयात के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंक प्रति आयात लेनदेन 20 मिलियन अमरीकी डालर तक के लिए एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम परिवक्वतावाले व्यापार ऋण अनुमोदित कर सकते हैं। अनुमत अवधि से अधिक के लिए किसी भी प्रकार के स्वतः समय विस्तार / विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्राधिकृत व्यापारी बैंक 20 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रति आयात लेनदेन से अधिक के व्यापारिक ऋण का अनुमोदन नहीं करेंगे।

ख) समग्र लागत सीमा	वर्तमान समग्र लागत सीमा निम्नानुसार हैंः

परिपक्वता अवधि

छ माह तक के लाइबोर* से ऊपर

समग्र लागत सीमा

एक वर्ष तक

50 आधार बिंदु

एक वर्ष से अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम

125 आधार बिंदु

* ऋण की अपनी-अपनी मुद्रा अथवा लागू बेंचमार्क के लिए

समग्र लागत सीमा में व्यवस्थापक शुल्क, अपफ्रंट शुल्क, प्रबंधन शुल्क, लदाई-उतराई/प्रॉसेसिंग प्रभार, फुटकर और कानूनी खर्च, यदि कोइ हो, शामिल होंगे।

ग) गारंटी

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत अनुमत सभी गैर-पूंजीगत आयातों (स्वर्ण को छोड़कर) हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए और पूंजीगत माल की आयात हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन प्रति लेनदेन 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के लिए समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में गारंटियां / वचनपत्र / साखपत्र जारी करने की अनुमति है। ऐसे गारंटियों/ वचनपत्रों/ साखपत्रों की अवधि ऋण अवधि के अनुकूल हो और उसकी गणना पोतलदान की तारीख से की जाए।

घ) रिपोर्टिंग व्यवस्था

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे अप्रैल 2004 से फार्म टीसी (संलग्नक IV में दिए गए फार्मेट) में माह के दौरान अपने सभी शाखाओं द्वारा दिए गए व्यापारिक ऋण के अनुमोदनों, आहरणों, उपयोगों और चुकौती का समेकित विवरण निदेशक, अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 8वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को (और एमएस-एक्ज़ेल फाइल में ईमेल द्वारा deapdif@rbi.org.in को) इस प्रकार भेजें कि वह अगले माह के 10 तारीख तक पहुंच जाए। प्रत्येक व्यापारिक ऋण को प्राधिकृत व्यापारी एक अनन्य पहचान संख्या दें।

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी सभी शाखाओं द्वारा जारी गारंटियों/वचनपत्रों/ लेटर ऑफ कंफर्ट संबंधी आंकड़ों का एक समेकित विवरण तिमाही अंतराल पर (संलग्नक V के फार्मेट में) मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय भवन, 11वीं मंजिल, मुंबई 400001 को (और fedcoecbd@rbi.org.in को ईमेल के माध्यम से MS-Excel फाइल में) इस प्रकार भेजें कि वह अगले माह के 10 तारीख तक विभाग में पहुंच जाए।

संलग्नक I

फार्म ईसीबी

अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही के लिए आवेदन

अनुदेश

आवेदक, पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन, नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्रभारी मुख्य माप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई-400 001 को प्रेषित करे।

दस्तावेज

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज (जो संबंधित हो), आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाएं :

(i) समुद्रपारीय उधारकर्ता/आपूर्तिकर्ता से प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार के सभी शर्तों का पूर्ण विवरण देते ुए प्रस्ताव पत्र की एक प्रति।
(ii) आयात संविदा की एक प्रति, प्रोफार्मा / वाणिज्यिक बीजक / लदान बिल।

भाग-अ- उधारकर्ता के बारे में सामान्य ब्योरे

1. आवेदक का नाम
   (स्पष्ट अक्षरों में)
   पता

---

2. आवेदक का स्टेटस,
   i) निजी क्षेत्र
   ii) सार्वजनिक क्षेत्र

भाग-आ-प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार के ब्योरे

मुद्रा **राशि** **अमरीकी डॉलर में समतुल्य राशि**

1. बाह्य वाणिज्यिक उधार के ब्योरे

(क) बाह्य वाणिज्यिक उधार का प्रयोजन

(ख) बाह्य वाणिज्यिक उधार का स्वरूप [कृपया उचित बॉक्स में (x) लिखें]

(i)	आपूर्तिकर्ता ऋण	
(ii)	क्रेता ऋण	
(iii)	सामूहिक ऋण	
(iv)	निर्यात ऋण	
(v)	विदेशी सहयोगी / ईक्विटी धारक से ऋण (राशि, उधारकर्ता कंपनी की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में ईक्विटी धारिता प्रतिशत के ब्योरे सहित)	
(vi)	अस्थायी दर वाले नोट	
(vii)	नियत दर वाले बांड	
(viii)	ऋण सहायता	
(ix)	वाणिज्यिक बैंक ऋण	
(x)	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	

(ग) बाह्य वाणिज्यिक उधार की शर्तें

(i)	ब्याज दर	:
(ii)	वैध शुल्क (अप-फ्रंट फी)	:
(iii)	प्रबंधन शुल्क	:
(iv)	अन्य प्रभार, अगर कोई हो तो (कृपया उल्लेख करें)	:
(v)	समग्र लागत	:
(vi)	वायदा शुल्क	:
(vii)	दंडस्वरूप ब्याज की दर	:
(viii)	बाह्य वाणिज्यिक उधार की अवधि	:
(ix)	क्रय/विक्रय विकल्प के ब्योरे, अगर कोई हो तो	:

(x) रियायत/अधिस्थगन अवधि :
(xi) चुकौती की शर्तें (अधवार्षिक/वार्षिक/बुलेट) :
(xii) औसत परिपक्वता :

---

2. **उधारदाता के ब्योरे**

उधारदाता / आपूर्तिकर्ता का नाम और पता

---

3. दी जाने वाली सेक्यूरिटी, यदि कोई हो, का स्वरूप

भाग इ - आहरण द्वारा कमी और चुकौती संबंधी सूचना

प्रस्तावित सूची								
आहरण द्वारा कमी			मूलधन की चुकौती			ब्याज का भुगतान		
माह	वर्ष	राशि	माह	वर्ष	राशि	माह	वर्ष	राशि

भाग ई - अतिरिक्त सूचना

1. परियोजना संबंधी सूचना

i) परियोजना का नाम और स्थान :

ii) परियोजना की कुल लागत : रु. अमरीकी डॉलर

iii) परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में कुल बाह्य वाणिज्यिक उधार :

iv) परियोजना का स्वरूप :

v) क्या वित्तीय संस्था / बैंक द्वारा मूल्यांकन किया गया है :

vi) संरचनात्मक क्षेत्र : :

क) बिजली

ख) दूरसंचार

ग) रेलवे

घ) पुल समेत रोड

ङ) पोर्ट

च) औद्योगिक पार्क

छ) शहरी संरचना - पानी की आपूर्ति, सैनिटेशन और सीवरेज

vii) क्या किसी सांविधिक प्राधिकरण से मंजूरी की जरूरत है ? :
अगर हां, तो प्राधिकरण का नाम बताएं
मंजूरी सं. और दिनांक प्रेषित करें ।

2. चालू और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में लिया गया बाह्य वाणिज्यिक उधार (पहली बार के उधारकर्ताओं के लिए लागू नहीं)					
वर्ष	पंजीकरण सं.	मुद्रा	ऋण राशि	वितरित राशि	बकाया राशि*

* आवेदन की तारीख को चुकौतियों का निवल, अगर कोई हो तो ।

भाग उ - प्रमाणपत्र

1. आवेदक द्वारा -

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि (i) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं और (ii) उगाही जाने वाली बाह्य वाणिज्यिक उधार का उपयोग अनुमत प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ।

____
(आवेदक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान ______________
नाम : ______________________________

दिनांक ______________ मुहर

पदनाम : ______________________________

फोन सं. : ______________________________

फैक्स सं. : ______________________________

ई-मेल : ______________________________

2. प्राधिकृत व्यापारी द्वारा -

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि (i)आवेदक हमारा ग्राहक है (ii) हमने उधारदाता / आपूर्तिकर्ता से प्राप्त आवेदन और प्रस्ताव के मूल पत्र और प्रस्तावित उधार से संबंधित दस्तावेजों की जांच की है और उसे सही पाया है।

____

(प्राधिकृत अधिकारी के स्ताक्षर)

स्थान _______________

नाम : ____________________________________

दिनांक ______________मुहर

बैंक/शाखा का नाम : _________________________

प्राधिकृत व्यापारी कूट

संलग्नक II

फार्म 83

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत ऋण करार ब्योरों की सूचना
(ईसीबी के सभी श्रेणियों और किसी भी राशि के लिए)

अनुदेश :

1. उधारकर्ता, कंपनी सचिव (सीएस) अथवा सनदी लेखाकार (सीए) द्वारा प्रमाणित फार्म 83, पूर्णतः भरकर, दो प्रतियों में, नामित प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत करें। नामित प्राधिकृत व्यापारी इसकी एक प्रति ऋण पंजीकरण संख्या के आबंटन के लिए उधारकर्ता और उधारदाता के बीच हुए ऋण करार के हस्ताक्षर की तिथि से 7 दिनों के भीतर, निदेशक भुगतान संतुलन सांख्यिकीय प्रभाग, सांख्यकीय विश्लेषण कंप्यूटर सेवा विभाग (सांविकंसेवि), भारतीय रिजर्व बैंक, बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स, मुंबई 400051 को भेजी जानी है।
2. कोई भी कॉलम रिक्त न छोड़ें। प्रत्येक मद के लिए पूरे ब्योरे प्रस्तुत करें। जहां कोई विशेष मद लागू न हो वहां 'लागू नहीं' लिखें।
3. सभी तिथियां ववववव/मम/दिदि के फार्मेट में ह ोनी चाएि, जैसे कि जनवरी 21, 2004 के लिए 2004/01/21
4. रिजर्व बैंक को फार्म 83 अग्रेषित करने से पहले, प्राधिकृत व्यापारी संबंधित सभी मूल दस्तावेजों की अवश्य जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि फार्म सभी तरह से पूर्ण और सही हैं।
5. यदि किसी मद के सामने पूरी जानकारी/ ब्योरे देने के लिए पर्याप्त स्थान न हो, तो फार्म के साथ अलग से पन्ना जोड़ा जाए और संलग्नक के रूप में उसे क्रम संख्या दी जाए।
6. विकास वित्तीय संस्थाओं/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि के जरिए उप-ऋण प्राप्त करने वाली कंपनियां/ फर्में यह फार्म न भरें किंतु रिपोर्टिंग के लिए सीधे ही संबंधित वित्तीय संस्था से संपर्क करें।

रिजर्व बैंक (सांविकंसेवि)के उपयोग के लिए	लोन की :										

सीएस-डीआरएमएस समू	प्राप्ति तारीख	कार्रवाई की तारीख	ऋण वर्गीकरण	

करार ब्योरे (बाह्य वाणिज्यिक उधारों के उधारकर्ताओं द्वारा भरा जाए)

भाग अ : मूल ब्योरे										
ईसीबी टाइटल / परियोजना										
पंजीकरण संख्या										
रिजर्व बैंक की अनुमोदन सं. और तारीख(यदि लागू हो)										
लोन की सं. (रिजर्व बैंक/ सरकार द्वारा आबंटित)										
करार दिनांक (ववववव/मम/दिदि)					/			/		

मुद्रा का नाम		मुद्रा कूट (स्विफ्ट)			

राशि (विदेशी मुद्रा में)											रिजर्व बैंक के उपयोग के लिए

गारंटी हैसियत			गारंटीकर्ता (नाम, पता, संपर्क सं. आदि)	

(बॉक्स 1 के अनुसार कूट का प्रयोग करें) ↑					विविध मुद्रा प्रकार		

उधारकर्ता का नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में) संपर्की व्यक्ति का नाम : पदनाम : फोन सं : फैक्स सं. : ई-मेल आइडी :	उधारदाता/ विदेशी आपूर्तिकर्ता/ पट्टाकर्ता का नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में) देश : ई-मेल आइडी :
(रिज़र्व बैंक, सांविकंसेवि के उपयोग के लिए)	(रिज़र्व बैंक, सांविकंसेवि के उपयोग के लिए)

उधारकर्ता की श्रेणी (उचित कॉलम में टिक लगाएं)	उधारदाता की श्रेणी
सार्वजनिक क्षेत्र इकाई ☐ निजी क्षेत्र इकाई ☐	
श्रेणी का ब्योरा (नीचे टिक लगाएं) ☐ बैंक ☐ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी — पंजीकरण सं. ☐ ☐ वित्तीय संस्था (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से इतर) ☐ कंपनी ☐ व्यष्टि वित्त गतिविधियों में लगी गैर सरकारी संगठन ☐ अन्य (स्पष्ट करें) ☐	☐ बहुपक्षीय संस्था ☐ विदेशी सरकार (द्विपक्षीय एजेंसी) ☐ निर्यात ऋण/ बीमा संस्था ☐ विदेश में कार्यरत भारतीय वाणिज्य बैंक की शाखा ☐ अन्य वाणिज्य बैंक ☐ माल के आपूर्तिकर्ता ☐ पट्टादायी कंपनी/ वित्तीय कंपनी ☐ विदेशी सहभागी/ विदेशी ईक्विटी धारक (उधारकर्ता कंपनी के प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में धारित राशि और प्रतिशत के ब्योरे सहित) ☐ अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाज़ार ☐ अन्य (स्पष्ट करें)
उधारकर्त्ता कंपनी में उधारदाता की विदेशी इक्विटी धारिता के ब्योरे: (क)उधारकर्त्ता का प्रदत्त इक्विटी में शेयर (%) ☐	(ख) प्रदत्त इक्विटी की राशि ☐
प्राधिकृत व्यापारी का नाम, बैंक कूट लिखें	उधारदाता का संदर्भ/ आइबीआरडी सं.(यदि व आइबीआरडी ऋण ो तो)

बैंक कूट भाग I :								
भाग II :								
फैक्स : ई-मेल आइडी :								

भाग आ : अन्य ब्योरे

ईसीबी अनुमोदन योजना (उचित बॉक्स में टिक लगाएं)		परिपक्वता ब्योरे				
स्वतःअनुमोदित मार्ग		ऋण की प्रभावी तिथि				
अनुमोदित मार्ग		वितरण की अंतिम तिथि				
सरकारी द्वारा अनुमोदित		परिपक्वता तिथि (अंतिम भुगतान तिथि)				
		रियायत अवधि (वर्ष / मा)	व	व	म	म
		आर्थिक क्षेत्र / उद्योग कूट (बॉक्स 3 देखें)				
उधार राशियों का प्रयोजन कूट (बॉक्स 2 देखें)						

यदि आयात है तो आयात के देश का नाम स्पष्ट करें (यदि एक से अधिक देश हैं,तो ब्योरे संलग्न करें)

ईसीबी के प्रकार

☐	खरीदार का ऋण	☐	आपूर्तिकर्ता का ऋण
☐	ऋण सहायता	☐	द्विपाक्षिक स्रोतों से निर्यात ऋण
☐	वाणिज्यक ऋण/ सामूकि ऋण (ऋणदाता के बीच प्रतिशत वितरण के लिए पत्रक संलग्न करें)	☐	प्रतिभूतिकृत लिखत - बांड, सीपी, एफआरएन, आदि
☐	वित्तीय पट्टा	☐	अन्य (स्पष्ट करें)
☐	पुराने ईसीबी को पुनर्वित्त : पुराने ईसीबी की पंजीकरण सं.		

अनुमोदन सं. तारीख : पुनर्वित्त राशि :

कारण :

जिसके उपयोग करके वायदा रक्षा जोखिम		ब्याज दर स्वॉप		मुद्रा स्वॉप	अन्य (स्पष्ट करें)	

भाग इ : लेनदेन की अनुसूची

ब्याज भुगतान अनुसूची :

पहली भुगतान तिथि	_ _ _ _ / _ _ / _ _	वर्ष के दौरान भुगतानों की संख्या	
नियत दर	_ _ _ . _ _		
अस्थायी दर आधार	मार्जिन	कैप नियत दर :	न्यूनतम नियत दर :

आहरण द्वारा कमी की अनुसूची

श्रृंखला सं.	दिनांक (वववव/मम/दिदि)	मुद्रा	राशि	यदि एक से ज्यादा एक समान किस्तों	
	(कृपया नीचे टिप्पणी देखें)			आरणों की कुल सं.	कैलेंडर वर्ष में आ-रणों की संख्या

टिप्पणी :1. माल और सेवाओं के **आयात** के मामले में आरण द्वारा कमी की तारीख के सामने आयात की तिथि प्रस्तुत की जाए।

2. **वित्तीय पट्टे** के मामले में मालों के अधिग्रण (आयात) की तिथि को आहरण द्वारा कमी की तिथि के रूप में लिखा जाए।

3. **प्रतिभूतिकृत लिखत** के मामले में, जारी करने की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तिथि के रूप में दर्शाया जाए।

4. आहरण द्वारा कमी के एक से अधिक लेनदेन यदि एक पंक्ति में दर्शाए जाते हैं तो प्रथम लेनदेन की तारीख लिखी जाए।

मूल चुकौती अनुसूची

तिथि (ववvव/मम/दिदि) (प्रथम चुकौती तिथि)	मुद्रा	प्रत्येक लेनदेन में विदेशी मुद्रा में राशि	यदि एक से अधिक एकसमान किस्तों तो		वार्षिक दर (यदि वार्षिक भुगतान - ो)
			किस्तों की संख्या	एक कैलेंडर वर्ष में भुगतानों की संख्या	

यदि ऋण करार में वे विकल्प हैं तो उचित बॉक्सों में कृपया टि	क्रय ऋण का प्रतिशत विकल्प :	विक्रय ऋण का प्रतिशत विकल्प :

दिनांक(दिनांकों) के बाद निष्पादित किया जा सकता है।				/			/							/			/			

टिप्पणी : वार्षिकी भुगतान के मामले में कृपया मूल राशि के प्रत्येक समान किस्त और दर के साथ ब्याज की राशि दर्शाएं।

यदि मूल चुकौती के लिए प्रतिशत प्रोफाइल का प्रयोग करते हैं तो प्रतिशत भी दर्शाया जाए।

विलंब भुगतान के लिए दांडिक ब्याज	नियत प्रति वर्ष अथवा आधार प्रतिशतः मार्जिन
प्रतिबद्धता प्रभार	प्रति वर्ष का प्रतिशत : अनाहरित राशि का प्रतिशत
अन्य प्रभार	

प्रभार का स्वरूप (स्पष्ट करें)	भुगतान की अपेक्षित तिथि	मुद्रा	राशि	अनेक समान भुगतानों के मामले में	
				एक वर्ष में भुगतानों की सं.	भुगतानों की कुल सं.

भाग ई :चालू और पिछले तीन वित्तीय में ली गई ईसीबी -(पहली बार उधार लेने वाले को लागू नहीं)					
वर्ष	पंजीकरण सं.	मुद्रा	ऋण राशि	वितरित राशि	बकाया राशि*

* आवेदन की तिथि पर चुकौती की निवल, यदि कोई हो।

हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं। कोई भी मत्वपूर्ण सूचना रोकी / अथवा गलत नहीं दी है।

स्थान : _____________ मुहर _______________________________

दिनांक : _____________ (कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम : ________________________ पदनाम : ___________________

____

(कंपनी सचिव/ सनदी लेखाकार का हस्ताक्षर)

महुर नाम ______________________________

(प्राधिकृत व्यापारी के उपयोग के लिए)

हम यह प्रमाणित करते हैं कि उधारकर्ता हमारे ग्राहक हैं और फार्म में दिए गए ब्योरे हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। इसके अतिरिक्त बाह्य वाणिज्यिक उधार, बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशा निदेशों के अनुरूप है।

स्थान : ____________ मुहर

____

दिनांकः ____________ (प्राधिकृत अधिकारी का स्ताक्षर)

नामः

पदनाम :

बैंक/शाखा का नाम :

बैंककूटः

बॉक्स 1 : गारंटी स्थिति कूट		
क्रम सं.	**कूट**	**वर्णन**
1	जीजी	भारत सरकार गारंटी
	सीजी	सार्वजनिक क्षेत्र गारंटी
2	पीबी	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक गारंटी

बॉक्स 2 : उधार कूट का प्रयोजन		
क्रम सं.	**कूट**	**वर्णन**
1	आइसी	पूंजी माल का आयात
2	आरएल	पूंजी माल का स्थानीय स्रोत (रुपया व्यय)
3	एसएल	ऑन लेंडिंग अथवा सब लेंडिंग

3	एफआइ	वित्तीय संस्था गारंटी
4	एमबी	बुपक्षीय/ द्विपक्षीय संस्था गारंटी
5	पीजी	निजी बैंक गारंटी
6	पीएस	निजी क्षेत्र गारंटी
7	एमएस	परिसंपत्ति / प्रतिभूति का बंधक
8	ओजी	अन्य गारंटी
9	एसएन	गारंटीकृत नहीं

4	आरपी	पहले लिए गए ईसीबी की चुकौती
5	एनपी	नई परियोजना
6	एमई	विद्यमान इकाइयों का नूतनीकरण/ विस्तार
7	पीडब्ल्यू	ब्जिजली
8	टीएल	दूरसंचार
9	आरडब्ल्यू	रेलवे
10	आरडी	रोड
11	पीटी	बंदरगाह
12	आइएस	औद्योगिक पार्क
13	यूआइ	शरी मूलभूत आवश्यक तत्व
14	ओआइ	संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों में समुद्रपारीय निवेश
15	आइटी	एकीकृत टाउनशिप का विकास
16	डीआइ	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश
17	टीएस	कपड़ा उद्योग/स्टील उद्योग पुनर्रचना पेकेज
18	ओटी	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

बॉक्स 3 : औद्योगिक कूट प्रयोग में लाए जाएँ

उद्योग समू का नाम	उद्योग का वर्णन	कूट
बागान	चाय	111
	कॉफी	112
	रबड़	113
	अन्य	119
खनन	कोयला	211
	धातु	212
	अन्य	219
पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद		300
विनिर्माण	खाद्यान्न	411
कृषि उत्पाद (400)	पेय पदार्थ	412
	चीनी	413
	सिगरेट / तंबाकू	414
	ब्रुअरी और डिस्टिलरी	415
	अन्य	419
	सूती वस्त्र	421
कपड़ा उत्पाद (420)	जूट और कॉइर (नारियल जटा)	422
	रेशम और रयॉन	423
	अन्य वस्त्र	429
	ऑटोमोबाइल	431
परिवहन उपकरण (430)	ऑटो उपकरण और पुर्जे	432
	जहाज़ निर्माण उपकरण और गोदाम	433
	रेलवे उपकरण और गोदाम	434
	अन्य	439
मशीन और औजार (440)	कपड़ा मशीनें	441
	कृषि मशीनें	442
	मशीन औजार	443

	अन्य	449
धातु और धातु उत्पाद (450)	फेर्रस (लोहा और इस्पात)	451
	नॉन-फेर्रस	452
	विशेष एलॉय	453
	अन्य	459
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक माल और मशीनें (460)	इलेक्ट्रिकल माल	461
	केबल	462
	कंप्यूटर हर्डवेअर और कंप्यूटर आधारित प्रणाली	463
	इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व, ट्यूब और अन्य	464
	अन्य	469
	खाद	471
रसायन और संबंधित उत्पाद (470)	रंग और रंग सामग्री	472
	दवाइयां और फार्मस्युटिकल्स	473
	पेंट और वार्निशिंग	474
	साबुन, डिटर्जेंट, शॉम्पू, शेविंग उत्पाद	475
	अन्य	479
	सीमेंट	481
अन्य उत्पाद (480)	अन्य निर्माण सामग्री	482
	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	483
	लकड़ी के उत्पाद	484
	रबड़ माल	485
	कागज़ और कागज़ उत्पाद	486
	टाइपराइटर और अन्य कार्यालय उपकरण	487
	छपाई और प्रकाशन	488
	विविध	489
		500
व्यापार	बिजली उत्पादन, संचारण और वितरण	600
निर्माण और टर्न की परियोजनाएं	अन्य	700
परिवहन		811
	तकनीकी इंजीनियरिंग और परामर्श सेवाएं	812
उपयोगिता वस्तुएं (800)	दौरे और यात्रा सेवाएं	888
बैंकिंग क्षेत्र		900
सेवाएं		911
दूरसंचार सेवाएं	कोल्ड स्टोरेज, कैनिंग और गोदाम सेवाएं	912
सॉफ्टवेअर विकास सेवाएं	मीडिया विज्ञापन और मनोरंजन सेवाएं	913
वित्तीय सेवाएं		914
परिवन सेवाएं		915
अन्य (जिन्हें और कहीं वर्गीकृत न किया गया हो)		916
		917
		919
		999

संलग्नक III

ईसीबी-2

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत
बाह्य वाणिज्यिक उधार के वास्तविक लेनदेनों को रिपोर्ट करना
(ऋण के सभी संवर्गों और किसी भी राशि के लिए)
_____________माह के लिए विवरणी

1. ईसीबी के सभी संवर्गों के लिए भरा जाना चाहिए। इसे माह के अंत से 7 कार्य दिवस के भीतर नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से निदेशक, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग (सांविकंसेवि), भुगतान संतुलन सांख्यकीय प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक,सी-8/9, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 को भेजा जाना चाहिए। किसी विशिष्ट अवधि में कोई लेनदेन न होने की स्थिति में **'कुछ नहीं'** विवरणी भेजी जानी चाहिए।
2. कोई भी स्तंभ खाली न छोड़ें। प्रत्येक मद के सामने पूर्ण ब्योरे प्रस्तुत करें। जहां कोई विशिष्ट मद लागू न हो उसके सामने 'लागू नहीं' लिखें।
3. सभी तिथियां ववववव/मम/दिदि के फार्मेट में होनी चाहिए, जैसे कि जनवरी 21, 2004 के लिए 2004/01/21
4. डीएफआइ/बैंकों/गैर-बैंकिंगवित्तीय संस्थाओं, आदि से उप-ऋण लेने वाले उधारकर्ता इस फार्म को न भरें चूंकि संबंधित वित्तीय संस्था ईसीबी-2 सीधे ही प्रस्तुत करेगी।
5. रिज़र्व बैंक (सांविकंसेवि) को विवरणी अग्रेषित करने से पहले, कंपनी सचिव/ सनदी लेखकार संबंधित सभी मूल दस्तावेजों की अवश्य जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि विवरणी सरकार/ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी तरह से पूर्ण और सही हैं।
6. युनीक ऋण पहचान सं./रिज़र्व बैंक पंजीकरण सं. (फरवरी 01, 2004 से पहले अनुमोदित ऋण के मामले में) रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित किए गए अनुसार दिया जाना चाहिए। वैसे ही, ऋण पंजीकरण सं. (फरवरी 01, 2004 के बाद) दिया जाना चाहिए।
7. यदि किसी मद के सामने पूरी जानकारी/ ब्योरे देने के लिए पर्याप्त स्थान न हो, तो विवरणी के साथ अलग से पन्ना जोड़ा जाए और संलग्नक के रूप में उसे क्रमानुसार संख्या दी जाए।
8. आहरण द्वारा कमी के उपयोग के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कूट का उपयोग किया जाए।

बॉक्स 1 : उपयोग के प्रयोजन के लिए कूट

सं.	कूट	वर्णन	सं.	कूट	वर्णन
1	आइसी	पूंजी माल का आयात	12	टीएल	दूरसंचार
2	आइएन	गैर-पूंजी माल का आयात	13	आरडब्ल्यू	रेलवे
3	आरएल	पूंजी माल का स्थानीय स्रोत (रुपया व्यय)	14	आरडी	रोड
4	आरसी	कार्यशील पूंजी (रुपया व्यय)	15	डीटी	पोर्ट
5	एसएल	ऑन-लेंडिंग और सब-लेंडिंग	16	आइएस	औद्योगिक पार्क
6	आरपी	पहले लिए गए ईसीबी की चुकौती	17	यूआइ	शहरी मूलभूत आवश्यक तत्व
7	आइपी	ब्याज भुगतान	18	ओआइ	संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों में समुद्रपारीय निवेश
8	एचए	विदेश में धारित राशि	19	आइटी	एकीकृत टाउनशिप का विकास
9	एनपी	नई परियोजना	20	डीआइ	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश
10	एमई	विद्यमान इकाइयों का नवीकरण/ विस्तार	21	टीएस	कपड़ा उद्योग/स्टील उद्योग पुनर्रचना पेकेज
11	पीडब्ल्यू	बिजली	22	ओटी	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

9. विप्रेषण के लिए निधियों का स्रोत के लिए निम्नलिखित कूट का उपयोग करें ।

बॉक्स 2 : विप्रेषण के लिए निधियों का स्रोत		
सं.	**कूट**	**वर्णन**
1	ए	भारत से विप्रेषण
2	बी	विदेशी में धारित राशि
3	सी	विदेशी में धारित निर्यात आय
4	डी	ईक्विटी पूंजी का परिवर्तन
5	ई	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

पृष्ठ : 2

केवल रिज़र्व बैंक (सांविकंसेवि) के उपयोग के लिए		लोन की											
सीएस-डीआरएमएस समू		प्राप्ति तारीख	कार्रवाई की तारीख	ऋण वर्गीकरण									

भाग अ : ऋण पहचान के ब्योरे

ऋण पंजीकरण सं.										

ऋण की राशि			उधारकर्ता के ब्योरे
	मुद्रा	राशि	उधारकर्ता का नाम और पता संपर्की व्यक्ति का नाम पदनाम फोन सं. फैक्स सं. ई-मेल आइडी :
करार के अनुसार			
संशोधित			

भाग आ : वास्तविक लेनदेन के ब्योरे

1. माह के दौरान आहरण द्वारा कमी :

श्रृंखला सं.	दिनांक (ववvv/मम/दिदि) (कृपया नीचे टिप्पणी देखें)	मुद्रा	राशि	प्रतिबद्ध लेकिन माह के अंत तक आहरत न किए गए ऋण की राशि (ऋण की मुद्रा में)	
				मुद्रा	राशि

टिप्पणी : 1. माल अथवा सेवाओं के **आयात** के मामले में, आहरण द्वारा कमी की तारीख के सामने आयात की तारीख प्रस्तुत की जाए ।
2. **वित्तीय पट्टा** के मामले में माल के अधिग्रहण की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तारीख के रूप में लिखा जाए।
3. **प्रतिभूतिकृत लिखत** के मामले में, निर्गम की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तारीख के रूप में लिखा जाए।

2. भविष्य में आहरण किए जानेवाले की बकाया राशि की अनुसूची :

श्रृंखला सं.	आहरण द्वारा कमी का प्रत्याशित दिनांक (ववव/मम/दिदि)	मुद्रा	राशि	एक से ज़्यादा एकसमान किस्तों तो	
				आहरणों की कुल सं.	एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल आहरणों की सं.

3. महीने के दौरान आहरण द्वारा कमी के उपयोग के ब्योरे :

श्रृंखला सं.	दिनांक (ववव/मम/दिदि)	प्रयोजन कूट (बॉक्स 1 देखें)	देश	मुद्रा	राशि	नया वितरण / विदेश में धारित खाते से

4. __________ महीने की शुरुआत में बकाया विदेश में रखी गई राशि :

दिनांक (ववव/मम/दिदि)	बैंक और शाखा का नाम	खाता सं.	मुद्रा	राशि

5. विदेश में रखी गई राशि का उपयोग

दिनांक (ववव/मम/दिदि)	बैंक और शाखा का नाम	खाता सं.	मुद्रा	राशि	प्रयोजन

6. महीने के दौरान ऋण भुगतान

श्रृंखला सं.	प्रयोजन	विप्रेषण की तारीख	मुद्रा	राशि	विप्रेषण की स्रोत (बॉक्स 2 देखें)	मूल राशि की चुकौती (हाँ/नीं)*
	मूल राशि					
	ब्याज @ दर					
	अन्य (स्पष्ट करें)					

* समयपूर्व भुगतान के मामले में ब्योरे दें : स्वतःअनुमोदित मार्ग / अनुमोदन सं. दिनांक : राशि :

7. महीने के दौरान व्युत्पन्न लेनदेन (ब्याज दर, मुद्रा स्वॉप) (यदि कोई ो तो)

स्वैप का प्रकार	स्वैपव्यापारी		काउंटर पार्टी		कार्यान्वयन तारीख
	नाम	देश	नाम	देश	
ब्याज दर स्वैप					
मुद्रा स्वैप					
अन्य (स्पष्ट करें)					

श्रृंखला सं.	नई मुद्रा	नई मुद्रा पर ब्याज दर	ऋण मुद्रा पर नया ब्याज दर	स्वैप सौदे की परिपक्वता तारीख

8. संशोधित मूल राशि चुकौती अनुसूची (अगर संशोधित / ब्याज दर स्वैप किया गया हो तो)

दिनांक (ववvv/मम/दिदि) (पहली चुकौती की तारीख)	मुद्रा	प्रत्येक लेनदेनों में विदेशी मुद्रा में राशि	एक से अधिक एक समान किस्तों		वार्षिकी दर (अगर वार्षिकी भुगतान ो तो)
			किस्तों की कुल सं.	एक कैलेंडर वर्ष में भुगतानों की सं. (1,2,3,4,6,12)	

9. महीने के अंत में बकाया ऋण की राशि :

मुद्रा ____________________ | | | | राशि : ______________________________

(रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए)

हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं । कोई भी मत्वपूर्ण सूचना रोकी / अथवा गलत नहीं दी गई है।

स्थान : ______________ मुहर _____________________________________

दिनांक : ______________

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम : ___________________________

पदनाम : _____________________

(उधारकर्ता के उपयोग के लिए)

कंपनी सचिव / सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि सरकार अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार अथवा अनुमोदन मार्ग/ स्वतःअनुमोदित मार्ग के अंतर्गत लिए गए ईसीबी को लेखा बहियों में हिसाब में लिया गया है। आगे यह कि ईसीबी आय को ______________________________ प्रयोजन के लिए उधारकर्ता ने उपयोग किया है।हमने ईसीबी आय के उपयोग से संबंधित सभी दस्तावेजों और रिकार्डों का सत्यापन किया है और उसे सही पाया है और वे ऋण करार के शर्तों और भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा अथवा अनुमोदन मार्ग/ स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत स्वीकृत अनुमोदन के अनुसार है और सरकार द्वारा जारी ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

स्थान : नाम और पता

दिनांक : पंजीकरण सं.

[मुहर]

प्राधिकृत व्यापारी का प्रमाणपत्र

हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऋण चुकौती, बकाया और चुकौती अनुसूची के बारे में उक्त दिए गए ब्योरे सत्य और सही हैं। ईसीबी का आहरण, उपयोग और उसकी चुकौती की जाँच की गई और प्रमाणित किया जाता है कि ईसीबी के ऐसे आहरण ,उपयोग और उसकी चुकौती ईसीबी दिशानिदेशों के अनुसार है।

____

स्थान : ______________ मुहर (प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

दिनांक : ______________ नामः ______________________________

पदनाम :______________________________

प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता

यूनिफार्म कूट सं. :

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

संलग्नक V

प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा जारी /मांगी गई
गारंटी / वचनपत्र / लेटर ऑफ कंफर्ट

. . . . को समाप्त तिमाही

प्राधिकृत व्यापारी का नाम : संपर्की व्यक्ति :

पता : टेलीफोन :

ई-मेल : फैक्स :

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

निवासियों की ओर से	गारंटी / वचनपत्र / लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया गया	
	क्रेता ऋण	आपूर्तिकर्ता ऋण
व्यापार ऋण (3 वर्ष से कम) (क) एक वर्ष तक (ख) एक वर्ष से ज्यादा तथा तीन वर्षों से कम** ** (पूंजीगत माल के आयात तक सीमित)		

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान : . . . .
दिनांक : . . . . . . मुहर

अप्रैल17,2004 का ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.87 का संलग्नक

<u>फार्म - टीसी</u>

भाग II : ____________ (मा)/(वर्ष) के दौरान व्यापारिक उधार का संवितरण उपयोग और ऋण शोधन

क्रम संख्या	ऋण पचान संख्या	अनुमोदित राशि (अमरीकी डालर में)	संवितरण (अमरीकी डालर में)	उपयोग (अमरीकी डालर में)	चुकौती (अमरीकी डालर में)					इनका दिनांक	
					मूल	ब्याज	अन्य प्रभार	कुल (6+7+8)	बकाया (4-6)	लदान	अंतिम भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.

नोट 1 : स्तंभ सं. 1, 3 से 10 तक में सूचना सिर्फ अंकों में भरी जाए । इन स्तंभों में कोई अक्षर न लिखा जाए ।
नोट 2 : स्तंभ सं. 11 में दिनांक फार्मेट (ववvव/मम/दिदि) । उदारण के लिए 31 दिसंबर 2003 को 2003/12/31 के रूप में लिखा जाए ।

<u>प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रभाणपत्र</u>

1. ____________ माह के दौरान हमारी शाखा से आयात हेतु अनुमोदित सभी व्यापारिक उधारों को इस विवरण में शामिल किया गया है।

2. ऐसे व्यापारिक उधार के उपयोग से संबंधित सभी आयात दस्तावेजों (बिल एंट्री की ईसी प्रति प्रति) का सत्यापन कर लिया गया है और इन्हें सही पाया गया है ।

3. हमारी शाखा द्वारा अनुमोदित सभी व्यापारिक उधारों के आहरण, उपयोग और पुनर्भुगतान की जांच की गई और प्रमाणित किया जाता है कि व्यापारिक उधारों के ऐसे आहरण, उपयोग और चुकौती आयात के लिए व्यापारिक उधारों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 17 अप्रैल 2004 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र संख्या 87 में समय-समय पर इसके संशोधित संस्करणों में दिए गए अनुदेशों के अनुरूप है ।

स्थान : ______________

____

दिनांक : ______________ मुहर प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट

बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापारिक उधार के संबंध में
इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	अधिसूचना / परिपत्र	दिनांक
1.	फेमा 3/2000-आरबी	मई 3, 2000
2.	फेमा 126/2004-आरबी	दिसंबर 13, 2004
3.	फेमा 127/2005-आरबी	जनवरी 5, 2005
4.	फेमा 129/2005-आरबी	जनवरी 20, 2005
5.	फेमा 142/2005-आरबी	दिसंबर 6, 2005

1.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.41	अप्रैल 29, 2002
2.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.29	अक्तूबर 18, 2003
3.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.60	जनवरी 31, 2004
4.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.75	फरवरी 23, 2004
5.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.82	अप्रैल 1, 2004
6.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.87	अप्रैल 17, 2004
7.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	अक्तूबर 1, 2004
8.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24	नवंबर 1, 2004
9.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	अप्रैल 25, 2005
10.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.5	अगस्त 1, 2005
11.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	नवंबर 4, 2005
12.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.23	जनवरी 23, 2006
13.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24	मई 12, 2006
14.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.17	दिसंबर 4, 2006
15.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44	अप्रैल 30, 2007
16.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.60	मई 21, 2007